

64

न्यायालय में, श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश,
कैम्प कोर्ट रीवा, ज़िला रीवामोरो।



कृषि उपज मण्डी कोतमा, ज़िला अनूपपुर मोरो----- निगरानीकर्ता
// बनाम //

नवल किशोर पिता जमुनाप्रसाद सराफ,

बसंत सराफ पिता जमुनाप्रसाद सराफ,

चन्द्र प्रकाश पिता जमुनाप्रसाद सराफ,

सभी निवासी ग्राम कोतमा, तहसील कोतमा, ज़िला अनूपपुर
मोरो। ----- भैर निगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 मोरो भू राजस्व
संहिता 1959ई।

अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय
शहडोल संघाग शहडोल मोरो के रा०५०५०क्रमांक-
2011/निग./2010 पारित आदेश दिनांक- 17.1.

2016 के क्रिह्य व श्रीमान क्लैक्टर महोदय अ.
के प्र०क्र० 02/ पुन. /2009-2010 पारित आदेश
दिनांक 29.1.2010 व श्रीमान उपर्युक्त अधीक्ष
कोतमा के प्र०क्र० 82/अप्र०/ 2008-2009 पारित
आदेश दिनांक 25.1.2010 को स्थिर रखे जाएं
बावत।

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न लिखित हैं :-

- यहाँ, आराजी छसरानं- 116। रक्का 0. 68एकड़, ग्राम कोत
पोरो एवं रा०नि०मो कोतमा, तहसील कोतमा ज़िला अनूपपुरमोरो स्थि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.S.O.15-II/17

जिला-गढपुरा

पक्षकार का नाम कृष्ण उपर्युक्त बोर्ड - नवलकिशोर

(1)	(2)	(3)
27.12.17	<p>प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2—आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>3— आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।</p> 	